

(2)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 237/2021

जयप्रकाश बेनीवाल, निवासी मकान नं0 75, जी0आर0 पब्लिक स्कूल के पास, तिलक नगर, बीकानेर, जिला
बीकानेर, मो0 नं0 8104444616

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 15.12.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.11.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 237/2021 पर दिनांक 18.11.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3668-69 दिनांक 18.11.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक न्याय/2017/515 दिनांक 14.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार कार्यालय चिडावा से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक उपखण्ड/आरटीआई/2021/511 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा तहसीलदार चिडावा को भिजवादी गई थी। तहसीलदार चिडावा द्वारा आवेदक को सूचना अपने कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2021/1147-49 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवादी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक न्याय/2017/515 दिनांक 14.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार कार्यालय चिडावा से संबंधित होने के कारण उनके कार्यालय के पत्रांक उपखण्ड/आरटीआई/2021/511 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा तहसीलदार चिडावा को भिजवादी गई थी। तहसीलदार चिडावा द्वारा आवेदक को सूचना अपने कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2021/1147-49 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवादी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 15.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)

जिला कलक्टर, झुझुनू

जिला कलक्टर झुझुनू